डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2001—भाद्र 1, शक 1923

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001,

नई दिल्ली, तारीख 9 अगस्त, 2001 (18 श्रावण, 1923 शक)

अधिसूचना

सं. 429/छ.ग./2001.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 23 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2001 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सरणी के स्तम्भ 2 में :—

1. मद सं. 38-मालखरौदा (अ.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख), जांजगीर-चांपा,' प्रविष्टि,

2. मद सं. 57-सिहावा (अ.ज.जा.) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 'अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी' प्रविष्टि,

प्रतिस्थापित की जाएगी.

आदेश से,
सही/-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 9th August, 2001 (18, Sravana, 1923 Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CG/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 13 B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 429/CG/2001, dated the 23rd January, 2001, namely :—

1. for the existing entry against item No. "38-Malkharoda (SC)" the entry "Joint Collector/Deputy Collector (Land Record), Janjgir-Champa".

2. for the existing entry against item No. "57-Sihawa (ST)" the entry "Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri."

shall be substituted.

By order
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary
Election Commission of India.

नई दिल्ली, तारीख :

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2001—भाद्र 2, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2001

क्रमांक 4391/21-अ(प्रारूपण)/छग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 (क्रमांक 7 सन् 2001) में संशोधन करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये है.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

"प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 और उसकी अनुसूची में जहां कहीं पर भी शब्द "प्रैक्टीशनर इन माडर्न मेडिसिन एवं सर्जरी" उल्लिखित हैं के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" प्रतिस्थापित किये जायें.

"भेषज एवं शल्य चिकित्सा" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

3. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 में जहां कहीं पर भी शब्द "भेषज एवं शल्य चिकित्सा " उल्लिखित हैं के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" प्रतिस्थापित किये जायें.

"मेडिकल डिप्लोमा" शब्दों के स्थान पर "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" शब्दों की प्रतिस्थापना.

4. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम , 2001 में जहां कहीं पर भी शब्द "मेडिकल डिप्लोमा" उल्लिखित हैं के स्थान पर शब्द "प्रैक्टीशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन" प्रतिस्थापित किये जायें.

धारा 2 की उपधारा (ग) का नवीन उपधारा (ग) से प्रतिस्थापन.

5. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 2 (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"2 (ग) 'चिकित्सा' से अभिप्रेत है, आल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसकी समस्त शाखाएं परंतु इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा एवं पशु शल्य चिकित्सा शामिल नहीं है."

धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) में संशोधन.

6. (1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) में उल्लिखित शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'चार' प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम, 2001 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) का उपखंड (क) विलोपित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2001

क्रमांक 4391/21-अ(प्रारूपण)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 10 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 10 of 2001)

CHHATTISGARH CHIKITSA MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001

An Act to amend the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 (No. 7 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Vidhan Sabha in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

Short Title, extent and commencement.

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 (sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001).

(ii) It extends to the whole of Chhattisgarh

(iii) It shall come into force from such date as the State Government may, by notification appoint.

Substitution of words "Practitioner in modern medicine and surgery" with the words "Practitioner in Alternative Medicine."

2. The words "Practitioner in Alternative Medicine" shall be substituted where ever the words "Practitioner in modern medicine and surgery" appear in Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 and its schedule.

Substitution of words "Medicine and Surgery" with the words "Practitioner in Alternative Medicine".

3. The words "Practitioner in Alternative Medicine" shall be substituted where ever the words "Medicine and Surgery" appear in Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001.

Substitution of words "Medical Diploma" with the words "Practitioner in Alternative medicine".

4. The words "Practitioner in Alternative Medicine"shall be substituted where ever the words "Medical Diploma" appear in Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001.

Substitution of sub-section (c) of Section 2 with the new sub-section (c).

5. Sub-section (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam 2001 shall be substituted with the foolowing :—

"2 (c) 'Medicine' means, alternative medicine in all its branches, but does not include, allopathy, Homeopathy, Anyurveda, Naturopathy and Unani Medicine, and Veterinary Medicine and Surgery".

Amendment in clause (ii) of sub-section (1) of Section 4.

6. (1) In clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001, the word "Five" shall be substituted with the word "Four".

(2) Sub-clause (a) of clause (ii) of sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 shall be deleted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.